Memorandum of Understanding

On

INDIA – BELARUS RENEWABLE ENERGY COOPERATION BETWEEN

The Ministry of New and Renewable Energy, Government of the Republic of India

AND

The State Committee on Science and Technology of the Republic of Belarus

The Ministry of New and Renewable Energy, Government of the Republic of India AND The State Committee on Science and Technology of The Republic of Belarus, hereinafter referred to as 'The Parties':

Having identified New and Renewable Energy as a common area of interest; and

Desiring to establish Cooperation between the Indian and Belarus entities with the aim of developing new and renewable energy technologies,

Have reached the following understanding:

Article I WORKING GROUP

In order to coordinate the above-mentioned activities and decide upon project proposals related to design and development of various new and renewable energy technologies such as but not restricted to Solar Energy, Wind Energy, Bio-energy and Solar Hydro Power (SHP) the Parties intend to establish a "Joint Working Group" with the objectives of;

- Identifying areas of mutual interest and cooperation for development of new and renewable energy technologies, systems, sub-systems, devices, components etc.
- Monitoring and evaluating cooperation activities

The Parties will designate one main representative each to the Joint Working Group for the aforesaid activities. The Joint Working Group shall to the extent possible conduct its work through electronic communication, but meet alternately in India and Belarus, when this is deemed necessary.

The Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centers, universities or any other entity, as and when considered essential.

The objective of this Memorandum of Understanding is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote technical bilateral cooperation on new and renewable energy issues on the basis of mutual benefit equality and reciprocity.

Article II

The present Memorandum of Understanding can be amended by the Parties through mutual consultation. The amendments shall be enclosed with the present Memorandum of Understanding and shall form an integral part of it thereof.

Article III ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

The Memorandum of Understanding will enter into force on the date of signing and shall remain in force unless revoked by the consent of the Parties.

Either of the Parties may terminate the present Memorandum of Understanding by giving the other Party a written notice, ninety days in advance of its decision to terminate this Memorandum of Understanding. Termination will not affect activities covered by a collaborative contract between the executive agencies and already underway at the time of termination.

The undersigned being duly authorized thereto have signed this Memorandum of Understanding

Lower hather

Gircesh B. Pradhan

Secretary

(For the Ministry of New and Renewable

Energy of the Government of the

Republic of India)

9-

Sergei Aleinik

Deputy Minister of Foreign

Affairs of

the Republic of Belarus

(For the State Committee on

Science and Technology of

the Republic of Belarus)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार

और

बेलारूस गणराज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी राज्य समिति

के बीच

भारत-बेलारूस अक्षय ऊर्जा सहयोग

संबंधी

समझौता ज्ञापन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और बेलारूस गणराज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी राज्य समिति, जिन्हें इसके पश्चात् 'पक्ष' कहा गया है :

नवीन और अक्षय ऊर्जा की पहचान साझा रूचि के क्षेत्र में करते हुए ; और

नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय और बेलारूस के संगठनों के बीच सहयोग संस्थापित करने की इच्छा रखते हुए,

निम्नलिखित समझौता करते है :

अनुच्छेद I कार्यकारी समूह

उपर्युक्त कार्यकलाप का समन्वयन करने और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा और लघु पनिबजली (एसएचपी) जैसी विभिन्न नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, किन्तु इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं, की डिजाइन तथा विकास संबंधी परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से ये दोनों पक्ष निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक 'संयुक्त कार्यकारी समूह' स्थापित करना चाहते हैं :

- नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, उप—प्रणालियों, युक्तियों, संघटकों आदि के विकास हेतु पारस्परिक रूचि और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना;
- सहयोगात्मक कार्यकलाप की निगरानी और मूल्यांकन करना।

दोनों पक्ष उपरोक्त कार्यकलाप हेतु संयुक्त कार्यकारी समूह के लिए एक प्रमुख प्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे। इस संयुक्त कार्यकारी समूह द्वारा अपने कार्य यथासंभव इलैक्ट्रोनिक संचार के माध्यम से सम्पन्न किए जाएंगे, किन्तु जब आवश्यक समझा जाएगा तब भारत और बेलारूस में बारी—बारी से मुलाकात करेंगे।

संयुक्त कार्यकारी समूह जब कभी आवश्यक समझेगा तब वैज्ञानिक संस्थाओं, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों से सदस्यों को शामिल कर सकता है।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नवीन और अक्षय ऊर्जा से संबंधित मामलों पर परस्पर हित, समानता एवं पारस्परिकता के आधार पर तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा प्रोन्नत करने के लिए सहयोगात्मक संस्थागत संबंध हेतु आधार तैयार करना है ।

अनुच्छेद II

इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये संशोधन वर्तमान समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न होंगे और वे इसके अभिन्न अंग रहेंगे।

अनुच्छेद III लागू होना, अवधि और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे दोनों पक्षों की सहमति से निरस्त नहीं कर दिया जाता।

इस समझौता ज्ञापन को किसी भी पक्ष द्वारा इसे समाप्त करने के अपने निर्णय की अग्रिम लिखित सूचना 90 दिन पहले देकर समाप्त किया जा सकता है। इसकी समाप्ति का प्रभाव कार्यकारी एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक समझौते द्वारा शामिल कार्यकलाप और समाप्ति के समय पहले से जारी कार्यों पर नहीं पड़ेगा।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् अधिकृत होते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

नई दिल्ली में दिनांक 14.11.2012 को हिंदी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। इसकी व्याख्या में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(कृते भारत गणराज्य की सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)

(कृते बेलारूस गणराज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राज्य समिति)